न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, पीलीभीत।

पीठासीनः विजय कुमार हिमांशु ,एच 0 जे0 एस 0

नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1009/2026

सरकार **बनाम** फुरकान।

मु०अ०सं०–170/2026

अंतर्गत धारा– 8/21/29 एन.डी.पी.एस.एक्ट।

थाना–जहानाबाद, जिला–पीलीभीत

17.06.2026

जमानत आदेश

1. **भूमिका–**यह जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र आवदेक/अभियुक्त फुरकान पुत्र मो० यामीन के जानिब से उपरोक्त प्रकरण में अं.धा–8/21/29 एन.डी.पी.एस.एक्ट में उपस्थापित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के जानिब से द्वारा स्वयं का इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा अन्य कोई प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या अन्य किसी न्यायालय में जेरे समात नहीं है।
2. **अभियोजन पक्षकथन**– अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उप० नि० अमर कुमार, द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी, जिसके कथनानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 08.03.2026 को उप निरीक्षक मय हमराही कर्मचारीगण देखभाल क्षेत्र शांति व्यवस्था में मामूर होकर ग्राम अकबरगंज पहुंचे। तभी जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि ग्राम गीता पैट्रोल पंप से थोड़ा आगे रोड किनारे एक साथ दो कार जिसमें एक सफेद व एक ग्रे रंग की खड़ी है जिसमें से सफेद रंग की कार के पास तीन लोग आपस में एक भरे कार्टून में रखे डिब्बों व हिसाब किताब के लेन देन को लेकर विवाद कर रहे हैं, एक दूसरे की जमा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास जुर्म से संबंधित वस्तु तो नहीं है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके बताए गए स्थान पर पहुंचे तो देखा कि उन तीनों व्यक्तियों में से दो व्यक्ति ग्रे रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में जा बैठे तथा खड़ा तीसरा व्यक्ति पास में रखे कार्टून को उस सफेद रंग की कार में रखने लगा। यकीन होने पर कि इनके पास कोई संदिग्ध सामान है तब पुलिस वालों ने मौके पर ही तीनों व्यक्तियों को दोनों कार में पकड़ लिया तथा इनमें से ग्रे रंग की स्विफ्ट कार में बैठे हुये दोनों व्यक्तियों से नावक्त खड़े होने का कारण पूछा तो दोनो ने एक स्वर में बताया कि हम लोगों के पास एक कार्टून अल्प्राजोलम नशीली टैबलेट थी जो हमने आईटेंव्टी वाले फुरकान को 50,000/ रू में बेच दी। पकड़े गये व्यक्तियो को धारा–50 एन.डी.पी.एस. एक्ट से अवगत कराया गया व अवगत कराया गया कि वे अपनी जमा तलाशी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष देने के लिये स्वतंत्र हैं जिस पर उनकी स्वीकृति से क्षेत्राधिकारी सदर को फोन किया गया वह कुछ समय पश्चात मौके पर आ गये। सहमति पत्र तैयार किया जाने के पश्चात पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तथा जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम लखबिंदर सिंह पुत्र भागीरथ मौर्य मूल निवासी मोहन नगर पुनायत रोड थाना कोतवाली, पीलीभीत बताया जिसकी जामा तलाशी में पहने पैंट की दाहिनी जेब से दो अदद मोबाईल फोन व बायी जेब से 3300 रू/ बरामद हुये तथा उरोक्त द्वारा बताया गया कि उसने यह 02 कोर्टून माल योगश मौर्या पुत्र तरूण कुमार मौर्य निवासी शंकरपुर थाना भीरा, लखीमपुर खीरी से खरीदा था। दूसरे व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम ओमकार मिश्रा पुत्र ऋषिकुमार मिश्रा निवासी ग्राम टेहरा सेरी पलिया थाना पलिया, लखीमपुर बताया जिसकी जाम तलाशी से 1000/ रू बरामद हुये, उक्त दोनों की गाडी की डिग्गी में पकडे गये नशीली दवाइयों के डिब्बे के कार्टून के बारे में पूछने पर दोनों ने बताया कि यह अवैध नशीली अल्प्राजोलम टैबलेट का कार्टून है। इसमें कुल 100 डिब्बे भरे हैं। जिनमें से एक डिब्बे के अन्दर कुल 12 पत्ते जिसमे प्रत्येक में 600 टैबलेट हैं। बरामद हुये कार्टून के बाहर A.T. PACKING 12X05X10 600 TAB. QTY: 100 BOX लिखा है। यह 50,000/– रुपये अभी फुरकान को 100 डिब्बों के कार्टून को बेचकर लिये हैं, पकडे गई दूसरी कार I20 कार जिसमें पकडे गये तीसरे व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये इसकी जामा

Digitally signed by VIJAY KUMAR HIMANSHU
Date: 2026.06.17 15:48:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम फुरकान पुत्र मो० यामीन निवासी ग्राम करगैना थाना अमरिया जनपद पीलीभीत बताया इसकी जामा तलाशी से इसकी उक्त कार में एक कार्टून के अन्दर 100 डिब्बे अल्प्राजोलम नशीली टैबलेट के हैं, जिनमें से एक डिब्बे के अन्दर कुल 12 पत्ते जिसमे प्रत्येक में 600 टैबलेट हैं, बरामद हुये हुये कार्टून के बाहर A.T. PACKING 12X05X10 600 TAB. QTY: 100 BOX लिखा है। और फुरकान ने बताया कि यह खरीदा हुआ माल नशा करने वाले आने जाने वाले लोगों को बेच देता हूं। तथा तीनों ने बताया की मोटा मुनाफा कमाने के लिये यह काम करते हैं। अभियुक्तगण द्वारा किये गये कृत्य को 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट से अवगत कराकर हिरासत पुलिस में लिया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर उनके फाजिल अधिवक्ता एवं राज्य के जानिब से फाजिल अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्क विस्तृत रूप से सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

4. **<u>आवदेक/अभियुक्त की ओर से अभिवाकः–</u>**आवेदक/अभियुक्त के जानिब से फाजिल अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.05.2026 को बल न देने के कारण खारिज किया जा चुका है। उसे इस अभियोग में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी पर कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। प्रार्थी से एल्प्राजोलम टैबलेट बरामद नही मिली है। दर्शायी गयी बरामदगी झूठी व फर्जी है। पुलिस द्वारा फर्द बरामदगी में अल्प्राजोलम टेबलेट की मात्रा संख्या बताई गई है पुलिस द्वारा यह नहीं बताया गया कि उक्त टैबलेट में कितने ग्राम अल्प्राजोलम है वह एक टैबलेट में कितने एमजी अल्प्राजोलम है। अभी तक उक्त वाद में एफ.एस.एल रिपोर्ट नहीं आई है उक्त वाद का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। पुलिस द्वारा धारा 50 एनडीपीएस एक्ट का पालन नहीं किया गया है। बरामदगी संदिग्ध है। सील सैंपलिंग, पैकिंग मलखाने में जमा करने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से नहीं अपनाई गई है। प्रार्थी के विरुद्ध कॉल रिकॉर्ड, चैट, बैंक ट्रांजैक्शन या अन्य साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी का कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न ही लगा है और न ही पूर्व में योजित किया गया है न ही कोई वर्तमान में विचाराधीन है। प्रार्थी 09.05.2026 से जिला कारागार पीलीभीत में निरूद्ध है। अतः प्रार्थना की गयी है कि उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये दौरान मुकदमा प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

5. **<u>अभियोजन पक्ष की ओर से अभिवाकः–</u>**अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए प्रतितर्क दिया गया है कि अभियुक्त से अल्प्रोजोलम टैबलेट का कार्टून बरामद हुया है और जिसको अवैध रूप से खरीदा व बेचा गया जिसका विवरण लोक सेवक द्वारा मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अभियुक्त के जानिब से उपस्थापित प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

6. **<u>निष्कर्षः</u>** उल्लेखनीय है कि जमानत विशेष परिस्थितियों में, मामले के विशेष तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ही अनुज्ञात किया जा सकता है न कि एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में। अभिलेख पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 08.03.2026 तथा अभियोजन सामग्री के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि अभियुक्त फुरकान को घटना स्थल पर ही अन्य सह–अभियुक्तों के साथ पकड़ा गया। अभियोजन के अनुसार सह–अभियुक्त लखबिंदर सिंह एवं ओमकार मिश्रा ने मौके पर ही यह स्वीकार किया कि उनके पास उपलब्ध एक कार्टून अल्प्राजोलम नशीली टैबलेट को उन्होंने अभियुक्त फुरकान को ₹50,000/– में विक्रय किया था। तत्पश्चात अभियुक्त फुरकान की कार की तलाशी लेने पर उसकी कार से एक कार्टून बरामद हुआ, जिसके भीतर 100 डिब्बे अल्प्राजोलम नशीली टैबलेट के पाए गए। प्रत्येक डिब्बे में 12 पत्ते तथा प्रत्येक पत्ते में 600 टैबलेट होना बताया गया है। स्वयं अभियुक्त फुरकान द्वारा उक्त नशीली दवाओं को खरीदकर नशा करने वाले व्यक्तियों को बेचने की बात स्वीकार करना भी अभियोजन कथानक का हिस्सा है। यह मात्रा एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत 'वाणिज्यिक मात्रा' की श्रेणी में आता प्रतीत होता है। अभियुक्त फुरकान के कब्जे एवं उसकी कार से उक्त नशीली दवाओं की बरामदगी दर्शायी गयी है। अभियोजन सामग्री से प्रथम दृष्टया यह भी परिलक्षित होता है कि अभियुक्त नशीले पदार्थों के अवैध क्रय–विक्रय के संगठित कारोबार में संलिप्त था तथा आर्थिक लाभ

अर्जित करने के उद्देश्य से यह कार्य कर रहा था। अतः उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस स्तर पर यह कहने का कोई उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त फुरकान के विरुद्ध आरोप प्रथम दृष्टया असत्य अथवा निराधार हैं। अभियुक्त के कब्जे से वाणिज्यिक मात्रा में नशीली दवा एल्प्राजोलम की बरामदगी दर्शायी गयी है ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय के समक्ष यह संतोषजनक आधार उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है अथवा जमानत पर रिहा होने पर पुनः अपराध नहीं करेगा। अभियुक्त फुरकान जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और उसकी जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त फुरकान के जानिब से उपस्थापित जमानत प्रार्थना पत्र, मु०अ०सं०–170/2026, अंतर्गत धारा–8/21/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना–जहानाबाद, जिला पीलीभीत, निरस्त किया जाता है।

दिनांक–17.06.2026

(विजय कुमार हिमांशु)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03
विशेष सत्र न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट),
जनपद–पीलीभीत।